5.2019 वकील प्रार्थी उप.नगी है
प्रार्थी कमा पत्नी स्वयं उपस्थित
प्रार्थी कमा पत्नी ने प्रथम दृष्टया
कि प्रार्थिया में कार्यवाही
नहीं मृत का पेश करना
है कार्यवाही दाखिल रखकर
हेतु पेश किया।

कमा पत्नी

लिहाजा प्रार्थी की ई-स्टेम्प
की इस्तेमाल पर प्रार्थी का
प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता
है एवं न्यायालय द्वारा जारी
अस्थाई निषेधाज्ञा दि. 16-4-18
को जारी है आदेश
सुनाया गया। पक्षकारों को शर्तों
में सुधार होकर इस वाद के
साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर